



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112022-240668  
CG-DL-E-30112022-240668

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2022/ अग्रहायण 9, 1944

No. 19]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2022/AGRAHAYANA 9, 1944

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2022

का.नि.आ.19 (अ).—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, छावनी बोर्ड, बैरकपुर के नामित सदस्य की रिक्ति, जो श्री रबिन्द्र नाथ भट्टाचार्य द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन त्यागपत्र देने तथा जनरल अफसर कमांडिंग-इन्-चीफ, पूर्व कमान की इस पर स्वीकृति को 28 फरवरी 2022 को उक्त बोर्ड को सम्यक रूप से सम्प्रेषित करने के परिणामस्वरूप हुई है, को उक्त अधिनियम की उप-धारा की उप धारा (2) के अधीन अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 14(8)/2019-डी (क्यू एंड सी)/वॉल-1]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th November, 2022

**S.R.O 19.(E).**—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), Central Government hereby notifies the vacancy of nominated member of Cantonment Board, Barrackpore, occurring due to resignation of Shri Rabindranath Bhattacharya under clause (b) of sub-section (1) of section 18 of the said Act, and after acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Eastern Command, duly communicating the same to the said Board on the 28<sup>th</sup> February, 2022, under sub-section (2) of said section of the said Act.

[F. No. 14(8)/2019-D(Q&C)/Vol.-I]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.